रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022020-216286
CG-DL-E-20022020-216286

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 694] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2020/माघ 30, 1941
No. 694] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2020/MAGHA 30, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020

का.आ. 762(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3315(अ) नई दिल्ली, १६ सितम्बर, २०१९, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में NH47 के कि.मी. 7.400 से कि.मी.13.550 सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टिमरनी , तहसील -टिमरनी, जिला - हरदा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "27 सितम्बर, 2019" को "दैनिक भास्कर" और "पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और इसमें कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में NH47 के कि.मी. 7.400 से कि.मी. 13.550 सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टिमरनी, तहसील -टिमरनी, जिला - हरदा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		**जिले का नाम: हरदा**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: टिमरनी				
	गांव का नाम: खिड़की				
1	1/2	निजी	सिंचित	0.1011	सुगना पत्नी हेमराज ()
2	1/5	निजी	सिंचित	0.037	नशीरखा, वहीदखा, बशीरखा, रमजानखा वल्द ईस्माइलखा ()
3	1/6	निजी	सिंचित	0.0522	चंद्रशेखर पुत्र नाथूराम ()
4	1/9	निजी	सिंचित	0.0029	रामदीन, बलराम पुत्र बाबूलाल ()
			कुल	**0.1932**	

[फा. सं. Harda-Betul/Pkg-I/Chw/13214/3D3]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2020

S.O. 762(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 3315(E) Dated 16 September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of the stretch of land from Km 7.400 to Km 13.550 of NH-47 [Competent Authority (Land Aquisition) and Sub-Divisional Officer (Revenue) TIMARNI, TEHSIL-TIMARNI, DIST.- HARDA] in the district of HARDA in the State of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar" and "Patrika" both dated 27 September, 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And no any objections have been received;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling in the stretch of land from Km. 7.400 to Km. 13.550 of NH 47 [Competent Authority (Land Aquisition) and Sub-Divisional Officer (Revenue) TIMARNI, TEHSIL-TIMARNI, DIST.- HARDA] in the district of HARDA in the State of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH		**District: HARDA**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Timarni				
	Viilage: Khidki				
1	1/2	Private	Irrigated	0.1011	Sugna W/o Hemraaj
2	1/5	Private	Irrigated	0.037	Nashirkha, Vahidkha, Bashirkha, Ramzankha, S/o Ismailkha
3	1/6	Private	Irrigated	0.0522	Chandrasekhar S/o Nathuram
4	1/9	Private	Irrigated	0.0029	Ramdeen, Balram S/o Babulal
			TOTAL	**0.1932**	

[F. No. Harda-Betul/Pkg-I/Chw/13214/3D3]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.20 21:13:32 +05'30'